राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः एफ 15(7)(6)/लाईटस/विधि/आईसीडीएस/2018 178625-971 जयपुर, दिनांक : 5-10-18

1. **समस्त उप निदेशक, मबावि**
2. **समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,**
3. **समस्त प्रभारी अधिकारी वाद, मुख्यालय।**

विषयः– विभागीय वादकरण की सूचनाऐं वैबसाईट (Lites) में अपडेट करने बाबत।

प्रसंगः– संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग के पत्र दिनांक 27.08.2018 व वरिष्ठ शासन उप सचिव, मबावि के पत्र दिनांक 04.09.2018 एवं समय–समय पर निदेशालय द्वारा लाईट्स में अपडेशन से संबंधित जारी पत्रों के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि आपको बतौर प्रभारी अधिकारी आवंटित विभिन्न न्यायालय के प्रकरणों न्याय विभाग की वेबसाईट लाईट्स पर अपडेशन करने, 10 से 20 वर्ष व 20 से अधिक अवधि से लम्बित न्यायिक प्रकरणों के अपडेशन, जिन प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया है उनका इन्द्राज लाईट्स सॉफ्टवेयर मे अपडेट करने, जिन प्रकरणों में जवाब पेश नहीं किया है उनमें नियमानुसार जवाब पेश करवाकर लाईट्स सॉफ्टवेयर पर जवाब प्रस्तुत करने का अपडेशन करने, निर्णीत न्यायिक प्रकरणों में अपील/पालना का इन्द्राज करने, मासिक सूचना का इन्द्राज करने, दर्ज न्यायिक प्रकरणों में प्रकरण से संबंधित दस्तावेजात लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के संबंध में निर्देशित किया जाता रहा है। न्याय विभाग द्वारा यह भी देखने में आया है कि अवमानना प्रकरणों में समय रहते जवाबदावा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है एवं ड्यू कोर्स वाले प्रकरणों में आगामी कार्यवाही भी नहीं की जाती है। लेकिन अत्यन्त खेद का विषय है कि बार–बार निर्देश दिये जाने के बाद भी आपके द्वारा वांछित पालना नहीं की जा रही है, जो स्पष्ट रूप से उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना प्रतीत हो रही है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपसे संबंधित जो भी प्रकरण न्यायालय में लंबित है उन्हें अविलम्ब आवश्यक रूप से अपडेशन/अपलोड करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

(माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित प्रकरणों की सूचनाऐं माननीय उच्च न्यायालय की वैबसाईट 'www.hcraj.nic.in' पर देखी जा सकती हैं।)

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 15(7)(6)/लाईटस/विधि/आईसीडीएस/2017 178972-73 जयपुर, दिनांक : 5-10-18

प्रतिलिपि

1. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं वरिष्ठ शासन उप सचिव, मबावि, शासन सचिवालय, जयपुर राज.।
2. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को प्रति भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर